राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

अमित कुमार पाण्डेय, *भा.प्र.से.*
कार्यपालक निदेशक

आदेश संख्या: SHSB/GA/HR/8564/2025(P-I)/**3679** पटना, **दिनांक: 16/09/2026**

–: आदेश :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत विज्ञापन संख्या–02/2025 के तहत **Community Health Officer (CHO)** के संविदागत पद पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के आदेश ज्ञापांक–966 दिनांक 21.05.2026 के आलोक में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अधोलिखित अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए निर्धारित मानदेय ₹32,000 + Incentive अधिकतम ₹8,000/- प्रतिमाह पर यथा निम्न शर्तों के तहत उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से नियोजित एवं उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–**4** में उल्लिखित जिला आवंटित करते हुए सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन स्तम्भ–**5** में अंकित स्वास्थ्य संस्थान में पदस्थापित किया जाता है:–

क्र.सं.	Registration No.	नवचयनित CHO का नाम	आवंटित जिला	पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान का नाम
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	HSCH020757	AVADHESH KUMAR	Kaimur	HSC-AAM Mata Mundeshwari, Bhagwanpur
2.	HSCH024380	SABIR ALI ANSARI	Kaimur	HSC-AAM Garra, Bhagwanpur
3.	HSCH023128	SONI SHARMA	Siwan	HSC-AAM Narhan, Raghunathpur
4.	HSCH008682	SAURABH	Buxar	HSC-AAM Deokuli, Brahampur
5.	HSCH007869	SANDEEP BUDANIA	Patna	HSC-AAM Agwanpur, Barh
6.	HSCH018200	HAIVINDRA SHARMA	Buxar	HSC-AAM Rajpur, Brahampur
7.	HSCH017468	RANJANA SINGH	Patna	HSC-AAM Nanauri, Dhanarua
8.	HSCH023417	DHANRAJ SAINI	Patna	HSC-AAM Gausganj, Paliganj
9.	HSCH012432	PUSPENDRA SINGH PANWAR	Siwan	HSC-AAM Sonbarsa, Maharajganj
10.	HSCH017268	RAJENDRA KUMAR CHAWLA	Patna	HSC-AAM Sigauri, Paliganj
11.	HSCH011353	VEDPRAKASH DADHICH	Kaimur	HSC-AAM Jaitpur, Bhagwanpur
12.	HSCH006775	LALIT KUMAR	Bhojpur	HSC-AAM Choti Sararam, Udwantnagar
13.	HSCH003067	RAJAT CHATURVEDI	Siwan	HSC-AAM Jigrahwa, Maharajganj
14.	HSCH018218	MANOJ	Buxar	HSC-AAM Amsari, Chougain
15.	HSCH023025	PANKAJ SHARMA	Patna	HSC-AAM Sikaria, Paliganj
16.	HSCH007186	DIBYANSHU RAI	Saran	HSC-AAM Chausiya, Garkha
17.	HSCH008140	SUMIT KUMAR	Buxar	HSC-AAM Pawani, Chousa
18.	HSCH017729	ANKIT JINJAWADIA	Kaimur	HSC-AAM Ramgarh, Bhagwanpur
19.	HSCH018737	AAJAM ALI	Gopalganj	HSC-AAM Husepur, Bhore
20.	HSCH018725	SOHIT KUMAR SHRIVASTAVA	Gaya Jee	HSC-AAM Kariyadpur, Tankuppa
21.	HSCH011773	NURUL HASAN	Katihar	HSC-AAM Lohagarha, Balrampur
22.	HSCH003923	PURUSHOTTAM MEHTA	Buxar	HSC-AAM Indaur, Itarhi

सुलभ स्वास्थ्य - सुरक्षित जीवन

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014, दूरभाष: 0612–2290328, वेबसाइट: www.shs.bihar.gov.in

क्र०सं०	Registration No.	नवचयनित CHO का नाम	आवंटित जिला	पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	HSCH002985	PRINCE JANGID	Patna	HSC-AAM Kauri, Paliganj
24.	HSCH005545	KAILASH PRAJAPAT	Patna	HSC-AAM Imamganj, Paliganj
25.	HSCH006149	RAMSINGH GURJAR	Buxar	HSC-AAM Sowa, Dumraon
26.	HSCH006031	VIRENDRA SINGH JEVLIYA	Buxar	HSC-AAM Chilahri, Dumraon
27.	HSCH000291	SHUBHAM UPADHYAY	Gopalganj	HSC-AAM Kalyanpur, Bhore
28.	HSCH016166	KM SUNDARAM GUPTA	Siwan	HSC-AAM Chauki Hassan, Barhariya
29.	HSCH000707	KARISHMA KUMARI	Banka	HSC-AAM Nijhari, Shambhuganj
30.	HSCH006606	PRIYA VARMA	Gopalganj	HSC-AAM Dharhara, Bhore
31.	HSCH006667	DEEPAK BAGHEL	Gaya Jee	HSC-AAM Kalona, Gurua
32.	HSCH021294	RAVINDER PANWAR	Patna	HSC-AAM Piperdaha, Paliganj
33.	HSCH005966	VIVEK RAI	Patna	HSC-AAM Parsa, Phulwari sharif
34.	HSCH005877	Ms. POONAM SEWALIYA	Buxar	HSC-AAM Kajaria, Rajpur
35.	HSCH006155	ANIL KUMAR VERMA	Buxar	HSC-AAM Pipradh, Rajpur
36.	HSCH008090	SONU KUMAR	Samastipur	HSC-AAM Kewas Nizamat, Samastipur
37.	HSCH022173	SHASHWAT KUMAR	Nalanda	HSC-AAM Tarapur, Ekangarsaai
38.	HSCH008721	AMIT RAJ	Paschim Champaran	HSC-AAM Siktaur Garhariya, Bagha-1
39.	HSCH004186	SUMIT KUMAR	Jehanabaad	HSC-AAM Mniyama, Kako
40.	HSCH016614	DOLI KUMARI	Muzaffarpur	HSC-AAM Rampur Mahinath, Bandra
41.	HSCH011191	ASHUTOSH KUMAR	Saran	HSC-AAM Pachbhinda, Maker
42.	HSCH004968	AKETA KUMARI	Bhagalpur	HSC-AAM Amdanda, Sanhoulla
43.	HSCH011588	SIMA KUMARI	Gaya Jee	HSC-AAM Babhni, Bodhgaya

2. उपर्युक्त नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि :–

i) **दिनांक 26 सितम्बर, 2026 तक** संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जि०स्वा०समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना योगदान समर्पित करेंगे। योगदान स्वीकृति के उपरांत तत्काल स्तंभ–5 में अंकित पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान में उपस्थित होकर कार्य करना प्रारंभ करेंगे।

ii) संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जि०स्वा०समिति को निदेशित किया जाता है कि वे CHO's अभ्यर्थी के योगदान के पश्चात् अविलंब योगदान स्वीकृत कर उन्हें संसूचित करते हुए संबंधित स्वास्थ्य संस्थान में कार्य लेना सुनिश्चित किया जाए।

iii) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्राप्त निदेश के अनुरूप संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से उन्मुखीकरण–सह–प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर नवचयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

iv) **किसी भी परिस्थिति में CHO की प्रतिनियुक्ति अन्यत्र स्वास्थ्य संस्थान में नहीं की जाएगी। ऐसा किये जाने की स्थिति में संबंधित CHO का मानदेय अनुमान्य नहीं होगा।**

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/8564/2025(P-I)/3679 पटना, दिनांक: 16/09/2026

v) योगदान के पश्चात् बॉण्ड एवं एकरारनामा के लिए Rs. 1,000/- का 02 (दो) Non Judicial स्टांप पेपर, पासपोर्ट आकार का 02 (दो) रंगीन फोटोग्राफ, NoC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर एकरारनामा सम्पन्न कराएँगे।

vi) उक्त नवचयनित CHO's अभ्यर्थी में किसी के पूर्व से सरकारी सेवा या किसी अन्य संस्थान/संस्था में नियमित अथवा अनुबंध पर नियोजित एवं कार्यरत होने की स्थिति में उन्हें योगदान के समय नियोजित संस्था/संस्थान के सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा।

vii) यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जाता है तथा संतोषप्रद सेवा के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जारी रहने या संबंधित पद की स्वीकृति एवं राशि प्राप्त होने (इनमें से जो भी पहले हो) तक के लिए संविदा अवधि का विस्तार अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए किया जा सकेगा।

viii) चयनित CHO's का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।

ix) आवंटित जिला/स्वास्थ्य संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

x) सभी नवचयनित अभ्यर्थियों का संविदागत नियोजन उनके द्वारा काँउसेलिंग में समर्पित विभिन्न प्रमाण–पत्रों की वैधता (Validity)/पूर्ववृत्त सत्यापन (Background Verification) के फलाफल से प्रभावित होगा। अतः CHO's अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होगा।

xi) विज्ञापन संख्या–02/2025 के IMPORTANT NOTE में अंकित शर्त्तों के तहत वैसे अभ्यर्थी, जो CHO के पद पर वर्त्तमान में कार्यरत हैं अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके हैं, वे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मानव संसाधन नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत अयोग्य माने जायेंगे। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि ऐसे किसी अभ्यर्थी का चयन हुआ है तो उनकी अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उनके विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

xii) **<u>Surety Bond:</u>**

a) Successful candidates shall serve as CHOs at Health Sub Centres with the District Health Society (DHS) for a minimum period of 18 (Eighteen) months from the date of appointment, failing which he/ she shall compensate a recoverable amount equivalent to 06 (Six) months of total remuneration (Honorarium) equivalent to ₹2,40,000/- (Rupees Two Lakh Forty Thousand only). No claim of transfer shall be entertained during this period of 18 (Eighteen) months.

b) The successful candidates are required to furnish a Surety Bond of ₹2,40,000/- (Rupees Two Lakh Forty Thousand only) at the time of joining as CHO with the respective District Health Society. The bond will be furnished on stamp paper of ₹1000/- (One Thousand only) amount stating that the candidate shall serve as CHO for a minimum period of 18 months failing which he will pay the recoverable amount of ₹2,40,000/- through Demand Draft drawn in favour of "<u>The Executive Director, State Health Society Bihar</u>" and payable at Patna. If a candidate wishes to leave before the bond period expires, he/ she should deposit the Demand Draft at the respective District Health Society from where it will be forwarded to State Health Society Bihar, Patna for needful. The no objection certificate for leaving the job before expiry of bond period will be issued by State Health Society, Bihar.

3. नवपदस्थापित CHO/CHOs का मानदेय एवं Incentive/प्रतिमाह FMR code-HSS.9, S. No. 187 एवं S. No. 188 के तहत विकलनीय होगा।

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/8564/2025(P-I)/**3679** पटना, दिनांक: 16/09/2025

4. संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, CHO's के योगदानोपरांत उनके बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् (BNRC), पटना से निर्गत नर्सिंग निबंधन प्रमाण–पत्र की जाँच कराते हुए यथाशीघ्र सम्पन्न एकरारनामा के साथ पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान में CHO के कार्यरत आदि रहने की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

5. नवचयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय अनिवार्य दस्तावेज यथा BNRC Certificate जमा करना आवश्यक है। वैसे अभ्यर्थियों (CHOs), जिनके द्वारा योगदान के समय बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् (BNRC) का निबंधन प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया हो, को औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत किया जायेगा। इन अभ्यर्थियों को योगदान की तिथि से 03 (तीन) माह के अन्दर BNRC प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक BNRC प्रमाण–पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में इनका मानदेय BNRC प्रमाण–पत्र जमा किये जाने की तिथि तक अवरुद्ध रहेगा।

इस आदेश में कुल **04** पृष्ठ हैं एवं सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित हैं।

ह० / –

(अमित कुमार पाण्डेय)

ज्ञापांक : SHSB/GA/HR/8564/2025(P-I)/3679 *पटना,* ***दिनांकः 16/09/2026***

प्रतिलिपिः सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रशासी पदाधिकारी–सह–प्रभारी, मा०सं० / संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (वित्त) / राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, एच०डब्ल्यू०सी० / राज्य कार्यक्रम प्रबंधक / संबंधित पदाधिकारी / सलाहकार / कर्मी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी नवपदस्थापित Community Health Officer's को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट **shs.bihar.gov.in** पर देखा एवं डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।

16/9/26

कार्यपालक निदेशक